मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/ बोर्ड/ भा.भु.यो./ 2025/ 1577   **भोपाल, दिनांक** 9 **/10/2025**

प्रति

संयुक्त संचालक
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - ______ (समस्त)

भारसाधक अधिकारी / सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति
______ जिला - ______ (समस्त)

विषय - **सोयाबीन खरीफ 2025 - भावांतर भुगतान योजना - निरीक्षण कार्यवाही के संबंध में निर्देश।**

मंडी प्रांगण / उपमंडी प्रांगण में विक्रय हो चुकी कृषि उपज सोयाबीन का सोयाबीन खरीफ 2025 - भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत पुनः विक्रय न हो, इस उद्देश्य से मंडी समितियों के स्तर से निम्न कार्यवाहियां सुनिश्चित की जाना अपेक्षित है-

1. ई-अनुज्ञा पोर्टल के माध्यम से व्यापारियों के स्टॉक की नियमित निगरानी की जाए।

2. मंडी क्षेत्र में नियमित निरीक्षण कार्यवाही संपादित की जाए।

3. प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा किए गए क्रय एवं प्रसंस्करण की मात्रा का समय-समय पर मिलान किया जाए।

4. सीमावर्ती जिलों की मंडियों में, प्रदेश के बाहर से आयातित कृषि उपज सोयाबीन का योजना अंतर्गत विक्रय न हो, इसकी रोकथाम संबंधी आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। सुनिश्चित किया जाए कि विक्रीत सोयाबीन का पुनः विक्रय न हों।

(कुमार पुरुषोतम)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/ बोर्ड/ भा.भु.यो./ 2025/1578 **भोपाल, दिनांक** 9 **/10/2025**

प्रतिलिपि :- **कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -**

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सहायक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
4. कलेक्टर, जिला - ______ (समस्त)।
5. अपर संचालक / संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
6. प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल। निर्देश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल